न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **256/2022** दायर दिनाँक **28.06.2022**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. रूस्तम अली पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 61 वर्ष जाति देशवाली निवासी लाडाबास,तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा लाडाबास पटवार हल्का बालिया, भू–अभिलेख नि0 निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 बारानी 2 बने है, जिनके पुराने खसरा सं0 527 रकबा 33 बीघा 02 बिस्वा है। जो तथ्य सम्वत् 2006 से 2076 की जमाबंदी में स्पष्ट है। नकल जमाबंदी व खसरा मिलान गिरदावरी व चालु जमाबन्दी पेश है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 बारानी 2 पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी के पूर्वजों की पैत्रिक भोलू ईब्राहीम पुत्र करीम की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात अलारखा पुत्र ईमाम की रही है, उसके स्वर्गवास के पश्चात अलारखा पुत्र ईमाम की रही है, उनके स्वर्गवास के पश्चात रहमान खां तथा अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी का ही है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व ही उक्त भूमियों पर वादी के पूर्वजों भोलू, ईब्राहीम पुत्र करीम की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात अलारखा पुत्र ईमाम की रही है, इनके स्वर्गवास के पश्चात रहमान खां तथा अब वादी की पैत्रिक व कब्जा काश्त की रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादी का है। गिरदावरी की प्रति पेश है।

यह है कि वाद हेतुक तब उत्पन्न हुआ, जब माह जून 2022 में वादी अपनी कब्जा काश्त पैत्रिक भूमि खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 बारानी 2 पर काश्त करने लगे तो प्रतिवादी के कर्मचारियों ने उसे ऐसा करने से मना किया तथा राजस्व कर्मचारियों ने उसे ऐसा करने से मना किया तथा राजस्व कर्मचांरियों की गलती से उक्त वादी की पैत्रिक कृषि भूमि को महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) के नाम दर्ज कर दी गयी, जो एक राजस्व कर्मचारियों की बड़ी भूल रही है, इस[illegible] के नये खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 बारानी 2 [illegible] पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त की भूमि को [illegible] दर्ज की गई है, परन्तु कब्जा काश्त [illegible] रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

अशुद्धि के कारण राजस्व कर्मचारि की गलती के कारण वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि के ग्राम लाडाबास हल्का पटवारी बालिया भू–अभिलेख नि0 निम्बी कलां व तहसीलदार डीडवाना द्वारा बार–बार बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है एवं वादी के हितो व अधिकारों को चुनौति देने लगने से बमुकाम ग्राम लाडाबास में उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि मौजा लाडाबास पटवार हल्का बालिया, भू–अभिलेख नि0 निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 बारानी जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 बारानी 2 की भूमि की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादी के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा लाडाबास पटवार हल्का बालिया, भू–अभिलेख नि0 निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **04.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 256/2022 दायर दिनाँक 28.06.2022

वादी

1. रूस्तम अली पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 61 वर्ष जाति देशवाली निवासी लाडाबास,तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 04.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा लाडाबास पटवार हल्का बालिया, भू–अभिलेख नि0 निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 262/430 रकबा 5.3600 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner